विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत अधिशासित होती है। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। 31 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य के 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) (19 कंपनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) थे, जिनमें 20950 कर्मचारी नियोजित थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2013-14 में ₹ 13734.46 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2014 को 20 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 24374.05 करोड़ था जो कि 2009-10 के ₹ 4329.85 करोड़ से 462.93 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 50.63 प्रतिशत पूंजी तथा 49.37 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। 2012-13 के दौरान शासन ने इक्विटी ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 3587.20 करोड़ का अंशदान किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2013-14 के दौरान 20 क्रियाशील पीएसयू में से 12 पीएसयू ने ₹ 123.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार पीएसयू ने ₹ 543.80 करोड़ की हानि उठाई। तीन पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई। शेष एक पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 498.19 करोड़, ₹ 26.63 करोड़ एवं ₹ 18.94 करोड़ की हानि हुई। पीएसयू द्वारा उठाई गई हानियों का मुख्य कारण वित्तीय प्रबंध, आयोजना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचालन तथा निगरानी में कमियाँ थी।

बकाया लेखे

सितम्बर 2014 तक 15 पीएसयू के 36 लेखे बकाया थे। पीएसयू को लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों की निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखो की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अंतिमीकृत क्रियाशील कंपनियों के 22 लेखों में से 15 लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों के गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कंपनियों के आंतरिक नियंत्रण पर कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं।

(अध्याय - I)

2. सांविधिक निगम की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई थी। हमारे द्वारा पाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है:

प्रस्तावना

***2009-10 से 2013-14** की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (निगम) की मुख्य गतिविधियाँ गोदामों का निर्माण/किराये में लेकर मुख्यरूप से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीएससीएससीएल) एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल, गेहूँ, शक्कर, चना एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण की सेवायें प्रदान करना था। निगम के पास मार्च **2014** की समाप्ति पर **14.02** लाख मीट्रिक टन (**9.11** लाख मीट्रिक टन स्वयं की एवं **4.91** लाख मीट्रिक टन किराये की) की भण्डारण क्षमता थी।*

योजना एवं गोदामों का निर्माण

*निगम भविष्य की भण्डारण आवश्यकताओं का आंकलन नहीं करता एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा आंकलित की गई भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार गोदाम निर्माण के लिये व्यवस्थित योजना नहीं बनायी। यह निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, **2009**, में स्वीकृत एक केन्द्रीय योजना एवं समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) की विभिन्न योजनाओं के अनुसार गोदाम निर्माण का कार्य सम्पादित करती है।*

*पीईजी योजना के अधीन निगम **4.92** लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध **2.87** लाख मीट्रिक टन का निर्माण कर सकी एवं मार्च **2014** की समाप्ति पर **2.05** लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता में वृद्धि की कमी थी।*

*निगम ने अनुपयुक्त भूमि/वन भूमि पर गोदाम निर्माण के लिए ₹ **73.36** लाख का अतिरिक्त व्यय किया एवं विवादित भूमि पर गोदामों के निर्माण के कारण ₹ **91.46** लाख अवरूद्ध हुआ।*

*अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन हुआ क्योंकि प्रबंध संचालक ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर ₹ **67.98** लाख मूल्य का अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किया।*

*निगम ने ठेकेदार से जो कि काम छोड़कर चला गया था से ₹ **32.30** लाख की जोखिम एवं लागत की राशि वसूल नहीं किया।*

*निगम ने गोदाम निर्माण में विलम्ब के लिए ठेकेदार पर ₹ **84.40** लाख की कम शास्ति अधिरोपित किया एवं ₹ **3.92** करोड़ की व्यवसायिक हानि वसूल नहीं किया एवं फ्लाई ऐश ईटों के बदले में मिट्टी की ईटों का उपयोग करके पर्यावरण मापदण्डों का उल्लंघन किया।*

वित्तीय प्रबंध

*निगम की कुल आय ₹ **52.39** करोड़ जो कि **2009-10** में थी से बढ़कर **2012-13** में ₹ **78.50** करोड़ हो गयी।*

*भारतीय खाद्य निगम को विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने के कारण निगम को ₹ **88.89** लाख की ब्याज की हानि हुई।*

*प्रयासों के अभाव के कारण एक केन्द्रीय योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) में ₹ **1.01** करोड़, राज्य की योजनाओं में ₹ **1.25** करोड़ के बकाया दावे प्राप्त नहीं हुए।*

*सेवाकर के भुगतान में विलम्ब के कारण निगम ने ₹ **72.24** लाख की शास्ति का भुगतान किया।*

गोदामों की क्षमता की उपयोगिता

समीक्षा अवधि के सभी पाँच वर्षों में गोदाम की क्षमता की समग्र उपयोगिता 90 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि, दो शाखाओं के गोदामों का उपयोग कभी नहीं हुआ एवं चार से 13 शाखाओं के स्वयं के गोदामों तथा नौ से 14 शाखाओं के किराये के गोदामों की उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी।

गोदामों का संचालन एवं अनुरक्षण

समीक्षा के सभी पाँच वर्षों में छः शाखाओं में लगातार हानि होने के बावजूद निगम ने हानियों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

भण्डारण टैरिफ के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एफसीआई ने भण्डारण हानि के लिए भण्डारण शुल्क के बिलों से ₹ चार करोड़ रोक लिया।

मानक मापदण्ड से निम्न के कीटनाशक का उपयोग एवं रसायन के खाली डिब्बों का निपटान न करते हुए निगम ने मापदण्डों का उल्लंघन किया।

निष्कर्ष

निगम को पीईजी योजना 2009 के तहत 4.92 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण करना था परन्तु मार्च 2014 के अन्त तक मात्र 2.87 लाख मीट्रिक टन निर्माण किया गया। इस प्रकार भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि आदि के कारण गोदाम निर्माण में विलम्ब होने से क्षमता वृद्धि में 2.05 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 3.22 करोड़) और लघु वनोपज संघ (मई 2002 से बकाया ₹ 1.33 करोड़) से ₹ 4.55 करोड़ भण्डारण शुल्क तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। इसमें एक प्रकरण ₹ 2.59 करोड़ का संबंध भौतिक सत्यापन में पायी गई चावल की कमी से था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित किया गया है (सितम्बर 2005), जिसकी जाँच चल रही है।

(अध्याय-II)

3. लेन-देन से सम्बंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेनदेन से सम्बंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें गम्भीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत प्रकृति की हैं:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तो का अनुपालन न करने के कारण छः प्रकरणों में ₹ 22.89 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.10 तथा 3.11)

त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण नियोजन के कारण चार प्रकरणों में कुल ₹ 1.77 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.4, 3.5, 3.7 तथा 3.9)

अपर्याप्त/दोषपूर्ण निगरानी के कारण एक प्रकरण में ₹ 5.38 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा समूह अवकाश नगदीकरण योजना नीति पर उपार्जित ब्याज का गलत लेखांकन करते हुये कम्पनी की आय मानने के परिणामस्वरूप ₹ 49.05 लाख के आयकर का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 3.3)

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड को चालू खाते में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण ₹ 54.74 लाख के ब्याज की हानि होना।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में आधिक्य कोषों के अन्यायोचित निवेश के कारण ₹ 40.66 लाख ब्याज कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.7)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा कोरबा ताप विद्युत केन्द्र की इकाई 6 की समय पर कैपिटल ओवरहॉलिंग कराने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 3.9)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंधों में लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करना तथ **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड** द्वारा लाईन लॉस का न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप निजी विद्युत उत्पादकों को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित लाभ देना।

(कंडिका 3.10)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेड़िंग कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेडयूलिंग में संशोधन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कैप्टिव विद्युत उत्पादक को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ देना।

(कंडिका 3.11)